तारीख हुक्म	वाद सं० 10/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
15-6-18	पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका। दोनों पक्ष अनुपस्थित। वादी के वकील की पहचान जबर सिंह तिमड़ा ने की है। दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है। राजीनामा पेश किया जो सांकेतिक पक्षकारी किया गया। दोनों पक्षों ने मौजा खोड़ के खाद कस्तूर खसरा नम्बर 874/81 रकबा 85 बीघा वादी गोकुलराम के कब्जा काश्त का है। प्रतिवादी राधो पुत्र रघुवीर गोकुलराम द्वारा ही खरीदी गई थी सहमति से प्रतिवादी के नाम दर्ज हुआ प्रतिवादी कभी भी काबिज नहीं रहा। राजस्व रेकर्ड में वादी गोकुलराम के नाम खातेदारी का कोशिश किये जाने में सहमत है। हमने पक्षकारों का अवलोकन किया जिसमें खरीददार का नाम गोकुलराम अंकित था। खरीद इश्तहार में गोकुलराम का नाम काट कर नारायणराम किया गया है नाम में की गई काट पर अधिकृत के हस्ताक्षर भी नहीं है। नारायणराम ने अपने बयान में भी गोकुलराम का होना व गोकुलराम के नाम इश्तहार बनने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया व राजीनामा में भी यही तथ्य अंकित किये गये हैं। अतः अभिलेख विवरण के आधार पर मौजा खोड़ के खसरा नम्बर 874/81 रकबा 85 बीघा का खातेदार कोशिश किया जाता है। उक्त भूमि से नारायणराम का नाम हटाया जाकर गोकुलराम S/o पूनाराम मेघवाल खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पक्षकारों को बाद शुद्धार होकर दाखिल दफ्तर हो। डिक्री पत्रावली जावे।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

सवाल

ला० नारायण

पहचानकर्ता
(जबरसिंह)

Scanned by CamScanner